

**न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर**  
**बड़जलास-श्री अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस**

राजस्व अपील संख्या -188/2023  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर -2023/216

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
बलदेवराम पुत्र शिवदानराम जाति जाट निवासी कालियास तहसील मूण्डवा जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मूण्डवा, राज0

उपस्थिति:-

1. अपीलान्त की ओर से वकील श्री श्रवण बडियासर।
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां।

निर्णय

दिनांक :-22.05.2024

1- अपीलान्त द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 171/2022 सरकार बनाम बलदेवराम में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2023 से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.10.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई।

2- वकील अपीलांत ने बहस में कथन किया पटवार हल्का माणकपुर ने अपीलांत के खिलाफ एक आवेदन अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कालियास के खसरा संख्या 106 गैर मुमकिन गोचर पर अपीलांत के द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही मौके पर से बेदखल करने व वार्षिक लगान का 50 गुणा कुल 04 रुपये बतौर शास्ति अधिरोपित करने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत के खिलाफ उक्त आवेदन में वर्णित आरोपो के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य तक नहीं थी केवल मात्र पटवारी के आवेदन को सही मानकर उस आधार पर विचारण न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है और इस स्थिति को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय जैर अपील पारित किया है वो पूर्णतया पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया जाना प्रकट होता है जबकि अपीलांत के द्वारा अतिक्रमण करने के बाबत कोई ठोस साक्ष्य नहीं थी। जिससे भी निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

अपीलांत के खिलाफ विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही गलत प्रकार से की गयी थी और अपीलांत को प्रकरण में जबाब साक्ष्य सबूत के विधिक अवसर से वंचित किया गया है जबकि प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार अपीलांत को अवसर दिया जाना न्यायोचित था अधीनस्थ न्यायालय ने इस स्थिति को नजर अंदाज करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में आवेदनकर्ता पटवारी हल्का के द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ गलत तथ्यों के आधार पर यह आरोप लगाया है कि उसके द्वारा खसरा संख्या 106 सरहद कालियास की भूमि पर संवत 2079 में नाजायज कब्जा कर लिया है, उक्त आरोप व आवेदन में वर्णित तथ्य पूर्णतया बेबुनियाद, काल्पनिक और मनगढन्त है। अप्रार्थी के द्वारा संवत 2079 में खसरा संख्या 106 की भूमि पर कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है और न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें अप्रार्थी के द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया हो। अप्रार्थी का मौके पर उक्त मकान व बाड़ा वर्षों पहले से बना हुआ है और संवत 2076 में मकान बनाने के तथ्य



अपने आप में ही मिथ्या व असत्य साबित हो जाते हैं। जिससे भी आवेदन कार्यवाही हाजा ड्रॉप होने योग्य है।

प्रार्थी के द्वारा खसरा संख्या 106 पर जिस प्रकार से अप्रार्थी का संवत 2079 में नाजायज अतिक्रमण करना बताया है वस्तुतः संवत 2079 में अप्रार्थी के द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। खसरा संख्या 106 का पूरा भाग गोचर के रूप में कभी भी काम में नहीं आ रहा था। अप्रार्थी अपनी खरीदसुदा भूमि पर काबिज है और अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। इसके अलावा खसरा संख्या 106 की भूमि पर वर्षों से लोग परिवार सहित निवास कर रहे हैं। इन सब तथ्यों को छिपाते हुए गलत आरोप लगाकर यह आवेदन पेश किया गया है।

अप्रार्थी रजिस्टर्ड बेचाननामा से खरीद की गयी अपनी खरीदसुदा जायगा पर काबिज है और उसका कोई अतिक्रमण नहीं है। स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा अप्रार्थी की भूमि के सम्बन्ध में पूर्व स्वामी के पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है।

खसरा संख्या 106 का पूरा भाग कभी भी गोचर भूमि के काम में नहीं आया है और मौके पर आबादी भूमि रही है और राजस्व रेकॉर्ड में गलत प्रकार से गोचर भूमि के रूप में दर्ज है। स्वयं राज्य सरकार के द्वारा मौके पर आबादी भूमि होना मानकर काफी लोगों के इन्दिरा आवास योजना के तहत पक्के मकान स्वीकृत किये गये जो मौके पर मकान बने हुए हैं और लोगो का रहवास है तथा बिजली पानी के कनेक्शन भी लिये हुए हैं। इस प्रकार मौके पर वर्षों से रहना स्पष्ट प्रमाणित है तथा स्वयं सरकारी कार्यालयों के द्वारा मौके पर निवास व पक्के निर्माण होना मानकर ही बिजली पानी के कनेक्शन जारी हुए हैं और इन्दिरा आवास के तहत पक्के मकान बने हुए हैं। इस प्रकार अप्रार्थी पर गलत आरोप लगाकर उक्त आवेदन पेश किया गया है।

खसरा संख्या 106 गोचर की भूमि अलग है और मौके पर गोचर भूमि के रूप में कोई भी ऐसी भूमि नहीं है जिस पर अप्रार्थी ने कभी अतिक्रमण किया हो। गोचर भूमि मौके पर खाली पडी है। अप्रार्थी का निवास व मकान आबादी के चिपते स्थित भूमि पर है और अप्रार्थी का गैर मुमकिन गोचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पट्टवारी के द्वारा बिना नाप चौप किये ओर राजस्व रेकॉर्ड तथा मौके की स्थिति को बिना कन्सीडर किये गलत तथ्यों पर यह आवेदन पेश किया गया है।

अप्रार्थी गरीब काश्तकार मजदूर पेशा व्यक्ति है और उसके पास विवादित जायगा के अलावा अन्य कोई रहवास की जायगा नहीं है। यदि अप्रार्थी के सैंकडो सालो से चले आ रहे रहवास को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाकर बेदखल किया जाता है तो अप्रार्थी व उसके परिवार को बेघर होना पडेगा तथा अप्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा।

अतः निवेदन है कि अपीलांत की उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा प्रकरण संख्या 171/2022 बअनबान सरकार बनाम बलदेवराम में पारित आदेश जैर अपील दिनांक 26.09.2023 खारिज फरमाया जावें। अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांत हो दिलाया जावें।

3- राजकीय परोकार का दौराने बहस कथन हैं कि ग्राम कालियास के खसरा नम्बर 106 की किस्म गैर मुमकीन गोचर हैं। इस प्रकार की भूमियों धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वर्जित भूमियों की श्रेणी में आती हैं। अपीलांत द्वारा गै0मु0 गोचर भूमि पर बिना किसी अधिकार के निर्माण कर मकान बनाकर कब्जा किया हैं। तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध जो यह कार्यवाही की हैं, यह विधिवत् कार्यवाही हैं। इसलिए अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जावें।

4- बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्थिति स्पष्ट होती हैं कि पट्टवारी हल्का माणकपुर द्वारा तहसीलदार को इस आशय की रिपोर्ट की पेश की हैं कि श्री बलदेवराम पुत्र शिवदानराम, जाति-जाट, निवासी कालियास ने ग्राम कालियास के खसरा नम्बर 106 रकबा 0.0180 हैक्टर किस्म जमीन गै0मु0 गोचर पर सम्वत् 2079 से अनाधिकृत कब्जा द्वारा मकान कर रखा हैं। पट्टवारी पट्टवार मण्डल,



कलेक्टर नागौर

माणकपुर की इस रिपोर्ट के आधार पर पहले यह प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार, मूण्डवा में दर्ज रजिस्टर किया गया तथा बाद में दिनांक 13.06.2023 को यह प्रकरण न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा में दर्ज रजिस्टर किया गया। इस प्रकरण में गैर सायल दिनांक 30.01.2023 को न्यायालय नायब तहसीलदार, मूण्डवा में उपस्थित रहा तथा दिनांक 25.08.2023 को न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा में प्रकरण संख्या 150/2023 उपस्थित होकर नोटिस जबाब स्वरूप गैरसायल द्वारा बेचान दस्तावेज/विलेख की प्रति प्रस्तुत की हैं। जिससे वकील अपीलांट का यह कथन पूर्णतया अपने आप में गलत है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह प्रकट है कि अपीलांट को प्रकरण में सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये गये हैं।

पटवारी पटवार मण्डल, माणकपुर द्वारा पेश की गई गैर सायल के विरुद्ध नाजायज अतिक्रमण रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम कालियास के खसरा 106 रकबा 0.0180 है 0 गै0मु0 गोचर भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है। खसरा नम्बर 106 जो राजकीय गै0मु0 गोचर भूमि है इस भूमि पर अपना स्वामित्व पूर्ण विधिक कब्जा होने के सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में पेश नहीं किये हैं। जो दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये हैं जिसके एक दस्तावेज आबादी भूमि का विक्रय विलेख एवं बेचाननामा खसरा नम्बर 1064 का है। जबकि गैर सायल का कब्जा व मकान खसरा नम्बर 106 में बनाया होने से तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी मानते हुवे जो निर्णय दिनांक 26.09.2023 पारित किया है, जिसमें कोई विधि त्रुटि या फिर अवैधानिक कार्यवाही होना नहीं पाया जाता है। गै0मु0 गोचर भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वर्जित भूमि है। इसलिए इस प्रकार की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं न ही अधिकार दिये जा सकते हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मूण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2023 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।

(अरुण कुमार पुरोहित )  
कृष्णचन्द्र नागौर  
नागौर

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर  
कालवट, नागौर

